फर्द अहकाम

बनाम

[illegible]या / वर्ष : / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण की तामील जारी [illegible] रजिस्टर्ड [illegible] पेशी पर पेश करें। अन्यथा पत्रावली को [illegible] किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 19/7/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण [illegible] नोटिस की एक प्रति [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 13/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
13/8/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा एडवोकेट कार्य का बहिष्कार करने के उपरान्त पूर्वानुसार दिनांक...............पेश हुई 3/9/24 [signature]	
3/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगाई गई [illegible] [illegible] किया गया	

ईस्माईल बनाम गोकुल वगै०
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

मु० नं० 156/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		लेकिन उप० नहीं। अतः प्रतिवादी नं० 01 व 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाकर तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोरम अनुसार होकर नियम में कार्य के बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
156 / 2021	06 / 12 / 2021	03 / 09 / 2024

1. इस्माईल पुत्र हाजी कययूम
2. ईशाक पुत्र हाजी कययूम
3. इब्राहिम पुत्र हाजी कययूम

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासी ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. गोकूल पुत्र सोहनलाल जाति महाजन निवासी बनीपार्क जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नारायण लाल गुप्ता निवी ब्रहमपुरी जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादीगण।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 1.8275 है0 ग्राम नारदपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त आराजी लिखा गया है। उक्त भूमि में वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज काश्तकार है, जो अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूम पर साबिधकार काबिज काश्त है। वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 296 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण अपने परिवारजन को साथ लेकर वादीगण के विरूद्व एक नाजायज गिरोह केवल मात्र वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा, दखल करके अतिकमण करने के इरादे से एवं लाठी व ताकत के जोर पर वादीगण को जबरन बेदखल करके वादीगण की भूमि में कब्जा व अतिकमण करने तथा वादीगण के कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से बना रखा है, जबकि प्रतिवादीगण व उनके परिवाजन का वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कतई कोई हक अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने की धमकिया देते हुए वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिकमण करने हेतु वादग्रस्त भूमि पर व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण की उक्त समस्त कार्यवाहीया पूर्णतया आपराधिक व गेर कानूनी है। जिनको रोकने व रूकवाने के लिए वादीगण को वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे, अवैध प्रवेश, अतिकमण, कब्जा इत्यादि नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त व कृषि उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें एवं वादग्रस्त भूमि पर लगी पुख्ता बाउण्ड्रीवाल को ना तोडे एवं वादीगण को बेदखल नही करें तथा मोके की यथास्थिति कायम रखें एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ही करें एवं अपने भाई बन्धुओं, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

(42)

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगणों का बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 1.8275है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे, अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, कब्जा इत्यादि नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त व कृषि उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें एवं वादग्रस्त भूमि पर लगी पुख्ता बाउण्ड्रीवाल को ना तोडे एवं वादीगण को बेदखल नही करें तथा मोके की यथास्थिति कायम रखें एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ही करें एवं अपने भाई बन्धुओं, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर